

Form No-|||

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

रायसिंहनगर

श्रीशिव शर्मा बनाम

सरकार

किरग गुकदमा 136 एल आर एक्ट

नम्बर 111 सन् 2021

जी.सी.एम.एस. आईडी 2021/

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी किया
26.10.21	<p>तहसीलदार भूअ./ नायब तहसीलदार <u>सिधु पांडे</u> रायसिंहनगर के पत्रांक/भूअ./प्र.गां.सं.अ./2021/260 दिनांक 26.10.21 के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत 75 एनपी में प्रार्थी के नाम चक 1 BWSM की जमाबंदी सम्वत् 2075-2078 के खाता सं 80 में <u>श्रीशिव कुमार शर्मा पुत्र श्रीराम शर्मा</u> <u>श्रीशिव</u> के स्थान पर <u>श्रीशिव कुमार शर्मा</u> <u>श्रीशिव शर्मा</u> की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंसा की हैं। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी हैं। अतः तहसीलदार/नायब तहसीलदार <u>सिधु पांडे</u> रायसिंहनगर की अनुशंसा के आधार पर वाके चक 1 BWSM तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्वत् 2075-2078 के खाता सं 80 में <u>श्रीशिव कुमार</u> <u>शर्मा पुत्र श्रीराम शर्मा</u> के स्थान पर <u>श्रीशिव कुमार शर्मा पुत्र श्रीराम शर्मा</u> <u>श्रीशिव</u> की दुरुस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फौसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो। आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।</p>	

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

